न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान लीक्ष्मण राम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 07 / 2026
निर्णय दिनांक 15-01-2026

लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम जाति नायक निवासी रेवासी तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा रेवासी पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 85 खसरा सं. 311/124 तादादी 6.7145 हैक्ट, खसरा सं. 313/124 तादादी 1.9094 है0 में लक्ष्मण पुत्र राऊराम है व अन्य दस्तावेजों में नाम लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लक्ष्मण पुत्र राऊराम के स्थान पर लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एलआर/2026/83 दिनांक 13.01.2026 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम है। अतः ग्राम रेवासी की उक्त जमाबंदी खाता संख्या 85 में लक्ष्मण पुत्र राऊराम की बजाय लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम नाम किया जाना उचित है क्योंकि लक्ष्मण पुत्र राऊराम व लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम एक ही व्यक्ति है।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र राऊराम व लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र राऊराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा रेवासी पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 85 खसरा सं. 311/124 तादादी 6.7145 हैक्ट, खसरा सं. 313/124 तादादी 1.9094 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र राऊराम **Delete** कर इसके स्थान पर लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-01-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)